खाद्य पदार्थ का लगाइए उद्योग, मिलेगा अनुदान

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उद्यान विभाग को 465 हेक्टेयर का लक्ष्य
- कक्षा आठ उत्तीर्ण 18 वर्ष की उम्र से अधिक वाले युवा ही आनलाइन कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, वाराणसी : युवाओं के साथ ही किसानों और उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर युवाओं के साथ ही किसान और उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे है। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें आफलाइन कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं होगा। खाद्य पदार्थ का उद्योग लगाने के लिए सिर्फ आनलाइन ही अपने प्रोजेक्ट को एफएमई पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। उद्यान विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ का उद्योग लगाने पर 35 प्रतिशत अनुदान भी दिया जा रहा है।

उद्यान विभाग को इस योजना के तहत 465 हेक्टेयर जमीन में उद्योग लगाने का लक्ष्य मिला था, इसके सापेक्ष अभी तक 400 हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। आनलाइन आवेदन करने के बाद उद्यान विभाग द्वारा मौके का सत्यापन करने के बाद बैंकों को प्रोजेक्ट फाइल आनलाइन ही भेज दिया जाता है। बैंको द्वारा लाभार्थी के प्रोजेक्ट को देखकर मशीन की खरीददारी और कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए 90 प्रतिशत तक लोन स्वीकृत किया जाता है। लाभार्थी को शुरुआत में सिर्फ 10 प्रतिशत ही खर्च करना पड़ता है। बैंक द्वारा लोन स्वीकृत होने के बाद ही उद्यान विभाग द्वारा अनुदान की राशि को बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। अनुदान की राशि तीन वर्ष तक बैंक में फ्रीज रहती है। तीन साल तक लाभार्थी द्वारा अपना प्रोजेक्ट संचालित करने पर अनुदान की राशि फ्रीज मुक्त हो जाती है। अनुदान की राशि पर लाभार्थी को ब्याज नहीं देना होता है। लाभार्थी को सिर्फ बैंक से स्वीकृत लोन पर ही ब्याज देना पड़ता है।

पात्रता : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और वह कक्षा-8 पास होना चाहिए। एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही इसका लाभ मिल सकता है।

योजना का लाभ लेकर रोहित मौर्या बने आत्मनिर्भर : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ लेकर महमूरगंज क्षेत्र के बिरदोपुर निवासी रोहित मौर्या आत्मनिर्भर बन गये हैं। रोहित मौर्या ने सरसो तेल (कोल्ड प्रेस्ड) का उद्योग सितम्बर-2024 में लगाया था जो सफलता पूर्वक चल रहा है। 50 से 70 किलो तक प्रतिदिन तेल निकालकर स्टोर करते है। हमारी फैक्ट्री पर आकर लोग सरसो तेल की खरीदारी कर रहे हैं, हम बाजार में भी बेंच रहे हैं।

राधा-कृष्ण नाम कच्ची घानी शुद्ध सरसो तेल नाम से ब्रांड बनाया है, इसी नाम से लाइसेंस भी बना है। ब्रांड को बोतल पर अभी चस्पा नही कर रहे हैं। बताया कि बैंक से 5 लाख का लोन मिला था, बाकी पैसा खुद से लगाकर इस उद्योग को चला रहे हैं।

युवाओं के साथ ही किसानों और उद्यमियों के लिए यह योजना वरदान है। इसके तहत बैंक से लोन लेकर अपना उद्योग चलाया जा सकता है। लाभार्थी को सिर्फ 10 प्रतिशत ही खर्च करना होता है। सरसो तेल (कोल्ड प्रेस्ड) के बारे में बताया कि इसमें तेल में मौजूद सभी पोषक तत्व बने रहते हैं। इसमें एक बार ही सरसो को डाला जाता हैं और पूरा तेल बाहर निकल आता है। सरसो को कई बार डालने की आवश्यकता नहीं होती है।
सुभाष कुमार, जिला उद्यान अधिकारी।

10
प्रतिशत ही लाभार्थी को खर्च करने की जरूरत, कंस्ट्रक्शन और मशीन आदि की खरीदारी पर बैंक दे रहे लोन